कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 3083 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 30 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुनः निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10419/2015)।

संदर्भ :– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या–195/X-4-15/1(118)/2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादूनः दिनांक 02.04.2015।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3148/12–1 (2) दिनांक 28.05.2025 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 161463.00 मात्र UTR संख्या– SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दिया गया है, **(संलग्नक–01)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202–1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 हेतु रू0 5913.00 मात्र UTR संख्या– SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)।**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या – 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.11.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 3313.00 की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–02)**
4	भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा में जमा की जायेगी।	ऑनलाईन द्वारा खाता सं0–1508919910419496 में रू0 3313 मात्र जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–01 एवं 02 के अनुसार)**

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202–1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु सं0–4 के अनुसार।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोशजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	छाया प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–04)**
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 3083 **/ 12-1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सहायक वन महानिरीक्षक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रतिलेखन 32

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3148 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28.05.2025.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुल निर्माण हेतु 0.009 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 195/X-4-15/1(118)/2015 दिनांक 02.04.2015।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 6341/12-1 (2) दिनांक 26.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी अल्मोड़ा
आ. का. के.

प्र. व सं. / नो.
30-5-25

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भू संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 5492
पत्रावली 12-1
दिनांक 6-6-25

अभिप्राप्त 27 MAY 2025

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6341 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 26-05-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुल निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **पी0के0 पात्रो, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या–195/X-4-15/1(118)/2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादूनः दिनांक 02.04.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 852/18सी0 दिनांक 18.04.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराषि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संषोधित) जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 161463.00 मात्र UTR संख्या– SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दिया गया है, **(छाया प्रति संलग्न है)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202–1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु रू0 5913.00 मात्र UTR संख्या– SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दी गई है। **(छाया प्रति संलग्न है)**।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा में जमा की जायेगी।	ऑनलाईन द्वारा खाता सं0–1508919910419496 में रू0 3313 मात्र जमा कर दिया गया है। **(छाया प्रति संलग्न है)**

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202–1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु सं0–4 के अनुसार।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित षर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोशजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	छाया प्रति संलग्न है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार (4 प्रतियों में)

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 6341 / 12–1(2) **उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 2659/18सी0 दिनांक, 26/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः- जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुल निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक 852/18सी0 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 1180/18सी0, दिनांक 14.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों द्वारा उक्त मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये थे, वर्तमान में पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही हैः-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू.161463.00 मात्र UTR संख्या-SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दिया गया है **(छाया प्रति संलग्न है)**। पुनः अतिरिक्त धनराशि रू0 3313.00 का भुगतान UTR संख्या- SBIN523088461846 द्वारा दिनांक 26.03.2023 को जमा कर दिया गया है। **(छाया प्रति संलग्न है)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202-1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु रू0 5913.00 मात्र UTR संख्या-SBIN41532450 6117 द्वारा जमा कर दी गई है। **(छाया प्रति संलग्न है)**। पुनः अतिरिक्त धनराशि रू0 3313.00 का भुगतान UTR संख्या-SBIN523088461846 द्वारा दिनांक 26.03.2023 को जमा कर दिया गया है। **(छाया प्रति संलग्न है)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कार्परेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में जमा में जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कार्परेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में UTR संख्या-SBIN415324506117 एवं UTR संख्या- SBIN523088461846 द्वारा जमा कर दी गयी है।

भूमि दृ
प्राप्ति सं. 7042
पत्रावली सं. 12-1(2)
दिनांक 31-12-2024

क्रमंशः पेज-2 पर

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202–1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु सं0–4 के अनुसार।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	छाया प्रति संलग्न है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृमि निर्गत की जायेगी।	विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोड़ल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे, जिससें उक्त मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

भवदीया,
26/12/24
(इं0 ऋचा भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोड़ल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछंनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोड़ल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछंनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

Ad-hoc - 32 - 10419/15-01

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, by Order dated 5th May 2006 in IA No.1337 with IA Nos.827, 1122, 1216, 1473 in Writ Petition No.202 of 1995 : T N Godavarman Thirumalpad Vs Union of India & Ors.

4th floor, Block No.3, CGO Complex, New Delhi – 110 003
Tel No.(011) 24368006. FAX No.(011) 24368007. E-mail : adhoc-campa-mef@nic.in

No.1-34/2013-CAMPA

Dated the 16 November, 2018

To

The Nodal Officer-cum- Addl. PCCF (FCA),
O o the Principal Chief conservator of Forests
Government of Uttarakhand,
85, Rajpur, Road Dehradun-248001

Sub.: Diversion of 0.009 ha. of forest land in favour of Public Works Department of Almora forest, Distt. Almora Forest Division, Uttarakhand.

Sir,

With reference to your letter received on 17th October, 2018. on the subject mentioned above, the following is confirmed as under: -

Proposal No.		FP/UK/ROAD/10419/2015		
S.N	Typeof deposit (NPV/CA/WMP/other (specify)	Amount	UTR/DD No.	Date of Deposit
a	Compensatory Afforestation			
b	Addl Compensatory Afforestation			
c	Penal Compensatory Afforestation			
d	Catchment Area Treatment			
e	Wildlife Management Plan			
f	Addl Charges			
g	Net Present Value	Rs. 5,913/-		
h	Any other charges/levies (Road Side Plantation)	Rs. 1,61,463/-		
	Total	Rs. 1,67,376/-		

The above-mentioned amount of Rs. 1,67,376/-, has been remitted vide UTR No. SBIN415324506117 to SB A/c No. 01025229 maintained in the name of Compensatory Afforestation Fund – Uttarakhand Corporation Bank, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 credited on 20.11.2015.

Yours faithfully

(Naresh Kumar)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment and Forests & Climate Change, Regional Office Dehradun, Person Road, FRI Campus, New Forest, Dehradun 248006
2. The Sr Technical Director, NIC, MoEF &CC, III Floor, Agni Wing, Indira Paryavaran Bhavan, New Delhi 110003.
3. PPS to IGF, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & climate Change, Jor Bagh, Aliganj Road, New Delhi-110003.

(Naresh Kumar)
Deputy Inspector General of Forests

संलग्नक- 02

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/15092/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15092/2015) Extaction fo Basera band to Kuria dhanyari	ROAD150922015402	6115092402	17 Feb 2021	CA: 565477/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 633282/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1198759/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 20 Sep 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 02 Jan 2024 Transaction Date: 15 Dec 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/160920231757098003_FPUKROAD150922015_User_Fund_Demanded_35005.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD150922015402)
2	FP/UK/ROAD/9291/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9291/2015) CONSTRUCTION OF RICHI MALLI MOHANRI MALLA BAGADWAR MALLA BHAKUNIYA MOTOR ROAD	ROAD92912015894	6192910894	17 Aug 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1027688/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1027688/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 19 May 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 03 Jun 2023 Transaction Date: 05 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/240420231253140711_FPUKROAD92912015_User_Fund_Demanded_48751.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD92912015894)
3	FP/UK/Others/10419/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/10419/2015) Bridge construction in Naken Gadhera	OTHERS104192015496	1991041949	602 May 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3313/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3313/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 15 Feb 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 22 Feb 2023 Transaction Date: 29 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/080220231829533765_FPUKOthers104192015_User_Fund_Demanded_L9325.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS104192015496)

संलग्नक-03

संलग्नक-

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुन निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनि0अभियन्ता/अ0स0अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, रानीखेत।	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

संलग्नक–

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुन निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र वन विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है।

कनि0अभियन्ता/अ0स0अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, रानीखेत।	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district. constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S Deputy commissioner Almora on date 8/1/15 at time 2:00 P.M. at Almora in which application claiming rights in Naken area measuring 0.004 hectares. for **Construction of foot Bridge in Naken Gadhera for Naugaon Villege** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated: 8/1/15

08-01-15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

1.6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मुख्य मंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत भिकियासैंण में नौगाँव ग्राम हेतु नैकना गधेरे में पुल निर्माण का कार्य

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति ....

उपखण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि शून्य हे0, सिविल सोयम भूमि 0.0045 हे0 तथा वन पचायत भूमि 0.0045 हे0 अर्थात कुल वन भूमि 0.0090 हे0) निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी / वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील भिकियासैंण का दिनांक 8-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मे श्री एन० एम० नबियाल उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गई। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री एन० एम० नबियाल .... उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष।
2. श्री बी० एस० जीना .... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य।
3. श्री आर०एस० रावत .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य / सचिव
4. श्री मती निशा .... बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदयों का बैठक में स्वागत करते हुये अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत नैकना गधेरे में पैदल पुल ~~मार्ग~~ का (24 मी०) ... एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ... के अन्तर्गत नैकना गधेरे में पुल निर्माण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.0090 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग, रानीखेत को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– .... जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील

उपजिलाधिकारी भिकियासैंण
जिला–अल्मोड़ा

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत भिकियासैण में नौगांव ग्राम हेतु नैकणा गधेरे में पुल्ला निर्माण का कार्य,

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– नैकणा

तहसील :– भिकियासैण जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड भिकियासैण नैकणा गधेरे में पैदल पुल्ला ~~मार्ग~~ के निर्माण (~~00 किमी0~~) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य ...... है0, सिविल सोयम भूमि 0.0025 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.0045 है0 अर्थात कुल वन भूमि 0.009 0.004 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष मे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैकणा द्वारा दिनांक 13/10/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सद्योली के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

स्तोर संख्या (20)

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
सत्र.......................
विकास खण्ड......................

ग्राम प्रधान हीरासिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत नैकणा
वि0 ख0 भिकियासैण (अल्मोडा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

प्रस्ताव संख्या (20)

ग्राम पंचायत

क्रम स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हीरा राम	
2	कमला देवी	
3	कुमारीराम	
4	देवकी देवी	
5	[illegible]	
	पुष्पा देवी	
	चन्द्रा देवी	
	दीपा देवी –(वार्ड सदस्य)	
	पार्वती देवी	
	राधा देवी	
	चन्द्र सिंह (वार्ड सदस्य)	
	दीपा देवी	
	गोविन्दी देवी	
	नन्दी देवी	
	लक्ष्मी	
	ममता देवी	
	[illegible]	
	कुन्दरवा	
	Bhowali	
	गीता देवी (वार्ड सदस्य)	
	[illegible]	

हीरासिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत नैकणा
वि० ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)